आयोजनागत-राज्य सेक्टर

संख्या-693 /चौदह-4-2015-503/2008टीसी

प्रेषक,

प्रतिभा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 30 अप्रैल, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष-2015-16 में आयोजनागत योजना'' तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन'' के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-2282 /36-पी-5(13वें वि0आ0)/2015-16 दिनांक 16.04.2015 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत योजना '' तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन'' के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 17.27 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 11.27 लाख (रू0 ग्यारह लाख सत्ताइस हजार मात्र) की स्वीकृति निम्न लेखा शीर्षकों के सम्मुख अंकित धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक	**धनराशि (रू0 हजार में)**
अनुदान संख्या-60	
पूँजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत	
01- वानिकी	
102- समाज तथा फार्म वानिकी	
15-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
24-वृहत निर्माण कार्य	1127
योग पूँजीलेखा-15	**1127**

(रू0 ग्यारह लाख सत्ताइस हजार मात्र)

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग विगत वित्तीय वर्षों की अप्रयुक्त धनराशि तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु किया जायेगा।

http://up.nic.in

2- उक्त धनराशि का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता अत: जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट/मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन के अथवा सक्षम अधिकारियों की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित हो उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को तेरहवें वित्त आयोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के व्यय करते समय व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19/25 अगस्त, 2011 में समेकित कार्य योजना के अनुमोदन के समय दिये गये दिशा-निर्देशों एवं शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक, 30 मार्च, 2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6- योजनान्तर्गत भवन निर्माण के संबंध में प्रस्तावित निर्माण कार्यों के आंगणन/साइट प्लान/ मास्टर प्लान आदि तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्रापत करने के उपरान्त ही धनराशि को व्यय किया जायेगा। भवन निर्माण के कार्य वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश सं0-1135/दस-सं0वि0-मित0-1-99 दिनांक 10.09.1999 में निहित निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित करायें जांय।

7- योजनान्तर्गत वस्तुओं का क्रय स्टोर तथा परचेज वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

8- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धधनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी.ए.-1191/ दस-2009-मित-एक/2007 दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक निश्चित योजनावार समयबद्ध सारणी भी बनायी जायेगी तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।

11- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक, 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(प्रतिभा सिंह)
विशेष सचिव

http://up.nic.in

संख्या-693(1)/चौदह-4-2015-503/2008टीसी तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/, द्वितीय, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/,द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- महालेखाकार द्वितीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
8- नियोजन अनुभाग-3
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
12- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(प्रतिभा सिंह)
विशेष सचिव

http://up.nic.in